न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/813

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मंशाराम जाति जाट निवासी ग्राम बंलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र मोतीराम जाति ब्राहमण
2. विमल कुमार पुत्र मोतीराम जाति ब्राहमण
3. ओमप्रकाश पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
4. सुमित चांदोलिया पुत्र श्री रमेश चांदोलिया जाति ब्राहमण
   समस्त निवासी ग्राम बंलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर निर्णय दिनांक 26.11.2021 प्रार्थना पत्र संख्या 763/2021 जिसके तहत ग्राम बलारा के खसरा नम्बर 1006, 1007 में से रास्ता बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री विष्णु कुमार पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक — 08.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 26.12.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा खसरा नम्बर 1006 व 1007 में से रास्ता कटवाने हेतु सहमति स्वरूप 50/– रूपये के स्टाम्प पर अनापत्ति प्रदान की गयी। तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा दिनांक 26.11.2021 को मौके पर सडक/रास्ता/कदीमी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के अनुसार ग्राम बलारा, पटवार मण्डल बलारा, तहसील लक्ष्मणगढ जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 1006 कुल रकबा 5.94 है0 में से रकबा 0.15 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 1007 कुल रकबा 1.10 है0 में से रकबा 0.04 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ, भू.अ.नि. बलारां एवं पटवार हल्का बलारां द्वारा मौके पर रास्ता काफी वर्षो से चलना बताते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में दर्ज करने की अनुशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26.11.2021 को स्वीकार

किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया गया कि ग्राम बलारा, पटवार मण्डल बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 1006 कुल रकबा 5.94 है0 में से रकबा 0.15 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 1007 कुल रकबा 1.10 है0 में से रकबा 0.04 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने व तदानुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने एवं रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी निर्णय के विभिन्न अंग रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 26.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश प्रसाद पुत्र मंशाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 26.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना कतई गलत मनमाना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो हल्का पटवारी एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वह वास्तविक तथ्यों से विपरीत है जबकि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 1006 के उत्तर में खसरा नम्बर 1008 से खातेदार काश्तकार आते जाते हैं खसरा नम्बर 1006 से कोई खातेदार काश्तकार अपनी कृषि भूमि में नहीं आते जाते है खसरा नम्बर 1008 में आने जाने के कारण उक्त रास्ता 1008 में से दिया जाना विधि अनुकूल था लेकिन हल्का पटवारी एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से रेस्पोडेन्ट एवं खसरा नम्बर 1008 के खातेदार से साज कर खसरा नम्बर 1006 में मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं होने की स्थिति में भी उक्त रास्ता प्रस्तावित किया है जो गलत था उसके आधार पर जो अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा खसरा नम्बर 1006 में से रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिये दर्शाते हुये उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (सीकर) के समक्ष बिना अपीलान्ट को सुने बिना एवं बिना अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किये बिना एवं बिना मौका निरीक्षण किये बिना ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बिना समझे बिना ही उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने दिनांक 26.11.2021 को बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना प्रकरण को दर्ज किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि नैसर्गिक न्याय का सिद्वान्त यह कहता है कि अपीलान्ट को एवं अन्य सहखातेदारान को बिना सुनवाई के किसी प्रकार से उनकी खातेदारी भूमि बाबत कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वह गलत है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003 /पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के पेज नम्बर 2 में स्पष्ट अंकन किया है कि पक्षकारान को प्रतिसमन द्वारा दी जायेगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड काबिज खातेदार काश्तकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना नोटिस प्रदत्त किये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्थान सरकार के उपरोक्त परिपत्र के आधार पर पारित किया है जबकि

विधि अनुसार उक्त परिपत्र मात्र लोक अदालत अभियान की अवधि तक ही था। तथा विधि अनुसार भी परिपत्र की अवधि 6 माह की होती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अन्य प्रभावशील लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह गलत है एवं काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि खसरा नम्बर 1006 में से 0.15 हैक्टेयर रास्ता प्रदत्त करने का आदेश पारित किया है। जबकि उक्त तथाकथित प्रदत्त रास्ते का अंकन हो जाता है तो अपीलान्ट की भूमि कम हो जायेगी उक्त रास्ते का अंकन होने से अपीलान्ट को काश्त करने में काफी समस्याओं का सामना करना पडेगा तथा उक्त खसरा नम्बर में न तो पूर्व में रास्ता है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ है। जिसको भी नही समझकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वह काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे व बिना मौके का सत्यापन किये कुछ लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि पडोसी समस्त खातेदारान के पास अपनी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता है अपीलान्ट की भूमि में से कभी कोई रास्ता न तो कभी पूर्व में था न ही वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम कानूनी तथ्यों को अनजर अंदाज करते हुये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से बिना सुनवाई का अवसर दिये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो वास्तविक तथ्यों को समझे बिना प्रदत्त किया है अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम कानूनी तथ्य को नहीं समझकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यदि रेस्पोडेन्टस को रास्ते की आवश्यकता होती तो 251 ए के अन्तर्गत नियमित प्रार्थना पत्र के माध्यम से कार्यवाही की जाकर कीमतन राशि अदा कर उक्त रास्ता प्राप्त करने का विधिक प्रावधान है लेकिन रेस्पोडेन्टस ने मौके पर कोई रास्ता दर्ज नही होते हुये भी अविधिक रूप से राजस्व कर्मचारियों से साज कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट का जो अंकन किया है वह कतई गलत है विवादित आराजी में न तो वर्तमान में रास्ता मौजूद ना ही पूर्व में रास्ता मौजूद था उक्त रिपोर्ट अपनी मनमर्जी से तैयार कर रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक रूप से मौके सम्बंधित रिपोर्ट सही रूप से प्राप्त नही कर आननन फानन में उक्त निर्णय पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 26.11.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व दिनांक 26.11.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया अर्थात समस्त कार्यवाही पोसिदा रूप से एक ही तारीख में कर निर्णय पारित किया है जो किसी भी सूरत में निर्णय की संज्ञा में नही आता है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण को दर्ज किया गया ना ही समुचित सुनवाई का अवसर अपीलान्ट को प्रदत्त किया गया अपनी आदेशिका में दिनांक 26.11.2021 को निर्णय पारित किया जाना अंकित किया उक्त समस्त कार्यवाही पोसीदा रूप से अपीलान्ट को उनके विधिक अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से की गई है। अपीलान्ट उक्त भूमि खसरा नम्बर 1006 का रिकोर्डेड खातेदार है। जिनको बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। इसलिये अपीलान्ट 96 सी.पी.सी. के साथ उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है। इसलिये अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की ईजाजत दिया जाना चाहिये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 16.12.2021 को तहसील कर्मचारी मौके पर आये ओर अपीलान्ट की उक्त भूमि की नाप जोख करने लगे। तो अपीलान्ट ने ऐतराज किया तो वहाँ मौजूद राजकीय कर्मचारियों ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त भूमि में से

रास्ता निकालने के आदेश प्रदान किये है। अपीलान्ट के ऐतराज पर राजकीय कर्मचारी उस समय तो चले गये लेकिन धमकी देकर गये कि शीघ्र हम वापस आकर उक्त भूमि में से रास्ता निकालेगें। अपीलान्ट को यह सुनकर अत्यन्त शौभ व आश्चर्य हुआ। अपीलान्ट ने दिनांक 19.12.2022 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को 20.12.2022 को प्राप्त होते ही आवश्यक कानूनी सलाह लेकर अपील अपीलान्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का क्षमा किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अनदेखी करते हुये जो निर्णय पारित किया है वह गलत है जो काबिले खारिज है।

दिनांक 16.12.2021 को तहसील कर्मचारी मौके पर आये ओर अपीलान्ट की उक्त भूमि की नाप जोख करने लगे। तो अपीलान्ट ने ऐतराज किया तो वहाँ मौजूद राजकीय कर्मचारियों ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त भूमि में से रास्ता निकालने के आदेश प्रदान किये है। अपीलान्ट के ऐतराज पर राजकीय कर्मचारी उस समय तो चले गये लेकिन धमकी देकर गये कि शीघ्र हम वापस आकर उक्त भूमि में से रास्ता निकालेगे। अपीलान्ट को यह सुनकर अत्यन्त शौभ व आश्चर्य हुआ। अपीलान्ट ने दिनांक 19.12.2022 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया जो अपीलान्ट को 20.12.2022 को प्राप्त होते ही आवश्यक कानूनी सलाह लेकर अपील अपीलान्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का क्षमा किया जाना आवश्यक है। जिसे क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियांद पेश है इस संबंध में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र से प्रस्तुत है जिसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर अपील को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर अपील को जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलान्ट उक्त भूमि खसरा नम्बर 1006 का रिकोर्डेड खातेदार है। जिनको बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। इसलिये अपीलान्ट 96 सी.पी.सी. के साथ उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है। इसलिये अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की ईजाजत दिया जाना चाहिये। उपरोक्त आदेश की आड में रेस्पोडेन्टस, प्रार्थी को उसके हक व अधिकारों से महरूम कर देगा तो प्रार्थी को भयंकर हानि होगी। प्रार्थी के हक व अधिकार आराजी जैर कृषि भूमि में निहीत है। इसलिये प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर निर्णय दिनांक 26.11.2021 प्रार्थना पत्र संख्या 763/2021 जिसके तहत ग्राम बलारा के खसरा नम्बर 1006, 1007 में से अवैध रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया को निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा खसरा नम्बर 1006 व 1007 में से रास्ता कटवाने हेतु सहमति

स्वरूप 50/– रूपये के स्टाम्प पर अनापत्ति प्रदान की गयी। तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा दिनांक 26.11.2021 को मौके पर सडक/रास्ता/कदीमी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर के अनुसार ग्राम बलारा, पटवार मण्डल बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 1006 में 0.15 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 1007 में 0.04 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ, भू.अ.नि. बलारां एवं पटवार हल्का बलारां द्वारा मौके पर रास्ता काफी वर्षों से चलना बताते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में दर्ज करने अनुशंषा मय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26.11.2021 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया गया कि ग्राम बलारा, पटवार मण्डल बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 1006 में 0.15 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 1007 में 0.04 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने व तदानुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने एवं रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी निर्णय के विभिन्न अंग रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किये गये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट नं. 5 के राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16.12.2021 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा पटवार हल्का बलारा को 50/ रूपये के स्टाम्प पेपर

सर्वसहमति से खसरा नम्बर 1006 व 1007 में से रास्ता कटवाने हेतु सहमति प्रदान कर सहमति अनुसार ट्रेस नक्शे में रास्ते का व जमाबन्दी में रास्ते की भूमि का विभाजन करने व अनापत्ति प्रदान की गयी। जिसके आधार पर पटवारी, भू.अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को दिनांक 26.11.2021 को ग्राम बलारां पटवार मण्डल बलारा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के खसरा नम्बर 1006 कुल रकबा 5.94 है0 में से रकबा 0.15 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 1007 कुल रकबा 1.10 है0 में से रकबा 0.04 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा विवादित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना, विवादित खसरे के खातेदार एवं सहखातेदारों को नोटिस दिये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं उक्त रास्ता कहां से कहां को जाता है की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना एवं प्रभावित खातेदारों की सहमति प्राप्त किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को भी सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर से वर्तमान फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है, रास्ता कहां से कहां को जाता है की स्पष्ट रिपोर्ट मय अभिशंषा प्राप्त कर, उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार लक्ष्मणगढ से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, डोटेड रास्ता किन–किन खसरों से होकर जाता है, रास्ता कहां से कहां को जाता है की स्पष्ट रिपोर्ट मय अभिशंषा प्राप्त कर, उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर